निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1943 (श0)

(सं0 पटना 677) पटना, सोमवार, 9 अगस्त 2021

विधि विभाग

अधिसूचना

9 अगस्त 2021

सं० एल०जी०–01–16/2021–4290/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 06 अगस्त 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव।

42

[बिहार अधिनियम 20, 2021]

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021

सरकार और/अथवा ट्रस्ट(न्यास) अथवा सोसाइटी अथवा कंपनी द्वारा स्थापित संस्थाओं में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला तथा योजना, प्रबंधन कार्यक्रम के परम्परागत और नवीन विधाओं को संचालित एवं संबद्धता प्रदान करने तथा शिक्षण, अनुसंधान के प्रसार एवं उनमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तथा इससे जुड़े अथवा इसके आनुषंगिक अन्य विषयों के लिए भी बिहार राज्य में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित एवं सम्मिलित करने के लिए अधिनियम;

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो।

1. ***संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–***
   (1) यह अधिनियम बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2. ***परिभाषाएँ*** ।– जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –
   (1) ***"शैक्षणिक परिषद्"*** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिषद्;
   (2) ***"संबद्ध संस्था"*** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षण संस्था;
   (3) ***"संबद्धता"*** से अभिप्रेत है परिनियम (स्टेच्यूट) एवं इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी विनियमावलियों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गयी संबद्धता;
   (4) ***"अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" (अभातशिप)*** से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 52) के अधीन गठित परिषद्;
   (5) ***"कुलाधिपति"*** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
   (6) ***"मुख्यमंत्री"*** से अभिप्रेत है बिहार राज्य का मुख्यमंत्री;
   (7) ***"महाविद्यालय"*** से अभिप्रेत है कॉलेज जो अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना में स्नातक या उच्चतर स्तर की डिग्री के लिए पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहा हो;
   (8) ***"वास्तु परिषद्"*** से अभिप्रेत है वास्तुविद अधिनियम 1972 (1972 का अधिनियम 20) की धारा 3 के अधीन गठित परिषद्;
   (9) ***"अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना पाठ्यक्रम"*** से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और अन्य संबंधित शीर्ष नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित स्नातक या उच्चतर स्तर डिग्री के लिए पाठ्यक्रम;
   (10) ***"कर्मचारी"*** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;
   (11) ***"कार्यकारिणी परिषद्"*** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद्;
   (12) ***"वित्त समिति"*** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति;
   (13) ***"सामान्य परिषद्"*** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद;
   (14) ***"सरकार"*** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
   (15) ***"संस्था"*** से अभिप्रेत है शैक्षणिक संस्था या महाविद्यालय जो अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना में स्नातक या उच्चतर स्तर की डिग्री के लिए पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहा हो;
   (16) ***"प्रबंधन कार्यक्रम"*** से अभिप्रेत है अभातशिप (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्) से अनुमोदित प्रबंधन कार्यक्रम जो संस्था द्वारा संचालित हो;
   (17) ***"कदाचार"*** से अभिप्रेत है परिनियम द्वारा विहित कदाचार;
   (18) ***"अधिसूचना"*** से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
   (19) ***"योजना बोर्ड"*** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड;
   (20) ***"प्राचार्य"*** से अभिप्रेत है किसी महाविद्यालय का प्राचार्य और इसमें जहाँ प्राचार्य न हों, वह व्यक्ति जो तत्समय के लिए प्राचार्य के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक रूप से नियुक्त किया जाये, सम्मिलित है;
   (21) ***"नामांकन में आरक्षण"*** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–8 के तहत परिभाषित नामांकन में आरक्षण;
   (22) ***"स्क्रीनिंग समिति"*** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 11(3) के तहत गठित समिति;
   (23) ***"स्व–वित्त पोषित संस्था"*** से अभिप्रेत है वह संस्था जो ट्रस्ट अथवा सोसाइटी अथवा कंपनी द्वारा स्थापित और स्व–वित्त पोषित हो एवं अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना में स्नातक या उच्चतर स्तर की डिग्री के लिए पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहा हो;

(24) ***"परिनियम" एवं "विनियमावली"*** से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत विश्वविद्यालय का क्रमशः परिनियम एवं विनियमावली;

(25) ***"तकनीकी शिक्षा"*** से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा यथा परिभाषित तकनीकी शिक्षा;

(26) ***"विश्वविद्यालय"*** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय;

(27) ***"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग"*** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 4 (अधिनियम –3, 1956) के अधीन स्थापित आयोग;

(28) ***"विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग"*** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–36 के तहत परिभाषित आयोग;

(29) ***"कुलपति"*** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;

(30) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए क्रमशः अधिनियम में समनुदेशित है;

3. निगमन |–

(1) बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय, उस तिथि के प्रभाव से, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, स्थापित किया जायेगा जिसमें कुलाधिपति और कुलपति,सामान्य परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यकारणी परिषद् एवं शैक्षणिक परिषद् के प्रथम सदस्य, और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जो एतद्पश्चात् ऐसे पद पर या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जायें और वे अपने पद पर जब तक बने रहे अथवा जब तक उनकी सदस्यता बनी रहे।

(2) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन संपत्ति को अर्जित करने, धारित करने एवं व्ययनित करने तथा संविदा करने और उक्त नाम से वाद लाने अथवा अपने विरूद्ध वाद लाये जाने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर रखनेवाला पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

4. अधिकारिता |–

(1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(2) सरकार द्वारा स्थापित एवं राज्य के विद्यमान विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध या भविष्य में स्थापित होने वाले सभी अभियंत्रण महाविद्यालय एवं संस्था जो अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन कार्यक्रम जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य शीर्ष नियामक निकाय द्वारा तकनीकी शिक्षा के रूप में परिभाषित है, के पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने वाले हो, वे उस तिथि से जैसा कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे एवं उस रीति से जैसा कि एतद्सम्बन्धी परिनियम या विनियमावली में प्रावधानित हो, विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता हेतु पात्र होंगे।

(3) तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय अथवा संस्था जो अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी तथा वास्तुकला एवं योजना कार्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं तथा राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं उस विश्वविद्यालय से जिससे ये महाविद्यालय अथवा संस्था सम्बद्ध रह चुके हैं,सम्बद्ध नहीं रह जायेंगे तथा ऐसे महाविद्यालय और संस्था इस विश्वविद्यालय से उस तिथि से सम्बद्ध समझे जायेंगे जो उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट हों।

(4) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं पर ऐसी शर्तों और निबंधनों को अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक, अनुकूल अथवा आनुषंगिक समझे एवं तब सम्बद्धता प्रदान करेगा।

(5) किसी न्यास अथवा सोसाइटी अथवा कंपनी द्वारा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन कार्यक्रम में शिक्षा देने वाली स्ववित्तपोषित संस्था के रूप में स्थापित विद्यमान महाविद्यालय अथवा संस्था इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेंगे जो इस संबंध में बनाये गए परिनियम और विनियमावली में दी गयी शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य |– विश्वविद्यालय का उद्देश्य सामान्य रूप से मानव जाति के जीवन की गुणवत्ता की उन्नति के लिए वातावरण विकसित करना और अभियंत्रण और तकनीकी विकास और अनुप्रयोगों के क्षेत्र के संबंध में विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन के ज्ञान को विकसित करना होगा। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन में विशेष रूप से उत्कृष्टता के केंद्र और संस्थान बनाना होगा और अन्य उद्देश्य इस प्रकार होंगे–

(1) अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के साथ–साथ वास्तुकला और योजना, प्रबंधन के क्षेत्र में अत्याधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट संस्था और केंद्र बनाना;

(2) विभिन्न स्तरों पर ज्ञान, कौशल और योग्यता के विकास के लिए क्षमताओं का निर्माण करना;

(3) अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन और विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए वैश्विक मानक के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए क्षमताओं का निर्माण करना;

(4) शैक्षिक उपलब्धियों के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण और प्रशिक्षण के पैटर्न विकसित करना ताकि विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन में शिक्षा के उच्च मानक स्थापित किए जा सकें;

(5) विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन के क्षेत्रों में ज्ञान प्रबंधन और उद्यमिता विकास के लिए एक प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना;

(6) विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक भागीदारी के लिए परस्पर सम्बन्ध प्रदान करना;

(7) राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उद्योग की जरूरतों के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को प्रासंगिक बनाने के लिए उद्योग के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना;

(8) ऐसे प्रावधान करना जिससे सम्बद्ध महाविद्यालय अध्ययन में विशेषज्ञता की जिम्मेवारी ले सकें;

6. ***विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कृत्य – विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, यथा :***

(1) विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन और सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान या सीखने की ऐसी शाखाओं में निर्देश, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों;

(2) शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन के क्षेत्र में नई विधियों और प्रौद्योगिकियों का नवीन प्रयोग करना;

(3) अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को निर्धारित करना और इलेक्ट्रॉनिक और दूरस्थ शिक्षा सहित शिक्षा प्रणालियों और वितरण पद्धतियों में लचीलापन लाना;

(4) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्री प्रदान करना, या ऐसी शर्त के अधीन व्यक्तियों को प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ या विशेष सम्मान प्रदान करना, जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित करे, और ऐसी किसी भी डिग्री, प्रमाण पत्र या अन्य शैक्षणिक उपाधियों या विशेष सम्मान को वापस लेना या रद्द करना;

(5) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशेष सम्मान प्रदान करना;

(6) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, पुनरुत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना;

(7) विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन के सभी पहलुओं में अनुसंधान को प्रायोजित करना और जिम्मा लेना;

(8) विश्वविद्यालय के पूर्णतः अथवा अंशतः उद्देश्य को रखते हुए शिक्षकों, विद्वानों, औद्योगिक विशेषज्ञों के आदान–प्रदान के माध्यम से और आम तौर पर इस तरह से जो उनके आम उद्देश्यों के अनुकूल हो दुनिया के किसी भी हिस्से में शैक्षिक/औद्योगिक या अन्य संस्थानों के साथ संबंध विकसित करना और बनाए रखना;

(9) विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबंधकीय, सलाहकार, अनुसचिवीय और अन्य सहायक सेवाओं के पदों पर यथा आवश्यक नियुक्ति करना;

(10) स्टाफ की सभी कोटियों की सेवाओं की उनके आचार संहिता सहित, शर्तों को अधिकथित करना;

(11) विश्वविद्यालय से संबद्ध स्ववित्तपोषित संस्थाओं के छात्रों से उद्गृहीत किए जाने वाले फीस एवं अन्य चार्जों (प्रभारों) को विनियमित करना;

(12) सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर यथापेक्षित पाठ्यक्रम का विकास और संशोधन करना;

(13) यथास्थिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के साथ अन्य संबंधित विभाग, बिहार सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसे शीर्ष नियामक निकायों के साथ संपर्क करना;

(14) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ संबंध विकसित करना और बनाए रखना;

(15) विश्वविद्यालय के वित्त का प्रबंधन, व्यय का विनियमन और लेखा का संधारण करना;

(16) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अनुदान, आर्थिक सहायता, चंदा, दान और उपहार प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों या निकायों के साथ कोई अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई करार करना;

(17) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और प्रयोजन के लिए उपहार, दान, चंदा, वसीयत के रूप में उद्योग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या किसी अन्य स्रोत से धन प्राप्त करना;

(18) फीस और ऐसे अन्य शुल्क जो विहित किए जाएँ को नियत करना, मांगना और प्राप्त करना या वसूल करना;

(19) फेलोशीप, छात्रवृत्ति, पारितोषिक, मेडल तथा अन्य पुरस्कारों को संस्थित करना तथा देना;

(20) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए किसी भी भूमि या भवन या कार्यों को,ऐसे नियमों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, खरीदना या पट्टे पर लेना या उपहार के रूप में स्वीकार करना, जो आवश्यक या सुविधाजनक हो, और ऐसे किसी भवन या कार्य का निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना;

(21) विश्वविद्यालय की चल या अचल संपत्तियों के सभी या किसी भी हिस्से को ऐसी शर्तों पर बेचना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निपटान करना जैसा कि वह उचित समझे और जो विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों और उद्देश्यों के लिए सुसंगत हो; परन्तु अचल सम्पत्तियों के मामले में सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(22) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित और लागू करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपायों की व्यवस्था करना जो विहित किए जाएँ;

(23) विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी सभी या किसी भी शक्ति (परिनियम और विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) को प्रत्यायोजित करना और ऐसे अन्य कार्य और चीजें करना जो विश्वविद्यालय उचित समझे और जो विश्वविद्यालय के किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति या वृद्धि के लिए अनुकूल या आनुषंगिक हो;

7. लिंग, वर्ग या पंथ का ध्यान न रखते हुए सभी व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय का खुला रहना।–विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे उनका लिंग, जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग जो भी हो, खुला रहेगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार के उसके धार्मिक विश्वास अथवा पेशे की जाँच विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए उसको हकदार बनाने हेतु अथवा उसमें कोई पद धारित करने के लिए अथवा विश्वविद्यालय के छात्र अथवा स्नातक के रूप में नामांकित होने के लिए अथवा उसके विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने हेतु अंगीकृत या अधिरोपित की जाये।

परन्तु, इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि महिला, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों अथवा समाज के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए नियोजन अथवा नामांकन के लिए विशेष प्रावधान करने से विश्वविद्यालय को रोका गया हो।

8. नामांकन में आरक्षण। –बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय–समय पर लागू उर्ध्वाधर आरक्षण के प्रावधानो को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक संस्था एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रुप में आरक्षित रहेंगी।

परन्तु, यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य की निवासी महिलायें ही पात्र होंगीं। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर यथापेक्षित आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

9. कुलाधिपति । –

(1) बिहार के मुख्यमंत्री अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति, जब उपस्थित हों, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और सामान्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त, यथास्थिति, महाविद्यालयों या संस्था, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों और यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा, शिक्षण एवं किये गये अन्य कार्यों का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे या जिन्हें वे निदेशित करें, निरीक्षण करवाने तथा, यथास्थिति, विश्वविद्यालय,

38

महाविद्यालय या संस्था के प्रशासन अथवा वित्त से जुड़े किसी विषय के संबंध में दी गयी रीति से जाँच–पड़ताल करवाने का अधिकार होगा।

(4) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालयों या संस्थाओं को, उनका निरीक्षण या जाँच–पड़ताल करवाने हेतु अपने आशय की सूचना देंगे तथा यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्थाओं को ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कुलाधिपति के समक्ष, ऐसा अभ्यावेदन, जो वह आवश्यक समझे, सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, देने का अधिकार होगा।

(5) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था द्वारा दिये गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचारण के बाद कुलाधिपति उपधारा (3) में यथा निर्देशित निरीक्षण या जाँच–पड़ताल करवा सकेंगे।

(6) जहाँ निरीक्षण या जाँच–पड़ताल कुलाधिपति द्वारा करवायी गयी हो वहाँ विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे उस निरीक्षण अथवा जाँच पड़ताल में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) कुलाधिपति, उपधारा (3) में यथानिदेशित उस निरीक्षण या जाँच–पड़ताल के परिणाम के संबंध में कुलपति को संबोधित कर सकेंगे और कुलपति, कुलाधिपति के विचारों को, उस सलाह के साथ, जो उसपर कार्रवाई करने हेतु कुलाधिपति द्वारा दिया गया हो, कार्यकारिणी परिषद् को संसूचित कर देंगे।

(8) यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में निरीक्षण या जाँच–पड़ताल की गयी हो तो कुलाधिपति उस निरीक्षण या जाँच–पड़ताल के परिणाम के बारे में उस पर अपने विचार कुलपति के माध्यम से कार्यकारिणी परिषद् को संबोधित करेंगे तथा उस पर कार्रवाई करने की ऐसी सलाह देंगे, जैसा वह चाहें।

(9) कार्यकारिणी परिषद् कुलपति के माध्यम से, उस कार्रवाई को, यदि कोई हो, जिसका उस निरीक्षण अथवा जाँच–पड़ताल के परिणाम पर करने का प्रस्ताव हो अथवा की गयी हो, कुलाधिपति को संसूचित करेंगे।

(10) जहाँ, यथास्थिति, कार्यकारिणी परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति का समाधान करने वाली कार्रवाई नहीं करे वहाँ कुलाधिपति कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अथवा दिये गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निदेश जारी कर सकेंगे जैसा वे उचित समझें तथा कार्यकारिणी परिषद् उन निदेशों का अनुपालन करेगी।

(11) इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को बातिल कर सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियम, विनियम के अनुरूप न हो, परन्तु कोई ऐसा आदेश करने के पूर्व, कुलाधिपति, रजिस्ट्रार को कारण दर्शाने हेतु कहेंगे कि क्यों नहीं ऐसा आदेश पारित किया जाये और यदि युक्तियुक्त समय–सीमा के भीतर कारण दर्शाया जाता हो तो वे उस पर विचार करेंगे।

(12) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों के बीच किसी भी मामले पर मतभेद की दशा में जिसे अन्यथा हल नहीं किया जा सकता है, कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(13) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो परिनियम द्वारा विहित किए जायें।

10. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ।–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे–

(1) कुलपति,
(2) डीन,
(3) रजिस्ट्रार,
(4) वित्त पदाधिकारी,
(5) परीक्षा नियंत्रक,
(6) पुस्तकालयाध्यक्ष,
(7) ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी होना घोषित किया जाये।

11. कुलपति । –

(1) कुलपति अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले शिक्षाविद और प्रतिष्ठित विद्वान या एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकीविद् या अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की अकादमिक पृष्ठभूमि के साथ मानव संसाधन विकास में पर्याप्त अनुभव रखने वाले एक प्रशासक होंगे;

(2) कुलपति, कुलाधिपति द्वारा उपधारा (3) के अधीन गठित एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित (नाम वर्णानुक्रम से व्यवस्थित होंगे) कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

परन्तु कुलाधिपति इस प्रकार अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी को अनुमोदित नहीं करें तो वे नयी अनुशंसाओं की माँग कर सकेंगे।

(3) उपधारा (2) में निर्देशित स्क्रीनिंग कमेटी में तीन सदस्य होंगे जिनमें एक कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, एक कुलाधिपति द्वारा और एक सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे और सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति समिति के संयोजक होंगे;

परन्तु समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा;

परन्तु यह और कि पैनल उन अभ्यर्थियों के बीच से तैयार किया जायेगा जो अपना बायोडाटा समर्पित करेंगे अथवा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुछ ख्याति प्राप्त व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा प्रायोजित किये जायेंगे।

(4) प्रथम कुलपति सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(5) कुलपति अपना पदग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिए पदधारण करेंगे;

परन्तु कुलाधिपति, कुलपति की पदावधि की समाप्ति के पश्चात् उनसे उस अवधि तक, जो कुल एक वर्ष से अनधिक उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे।

परन्तु यह भी कि कुलपति के पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु सीमा पचहत्तर वर्ष होगी।

(6) कुलपति की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवाशर्तें वही होंगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।

(7) यदि कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, अथवा अन्यथा खाली हो जाये अथवा यदि अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से वे अपने कत्तव्यों का अनुपालन करने में असमर्थ हो जायें तो कुलाधिपति किसी लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति को कुलपति के कृत्यों का निष्पादन तब तक करने के लिए पदाविहित करेंगे जब तक, यथास्थिति, नये कुलपति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते अथवा जब तक विद्यमान कुलपति अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हो जाते।

12. कुलपति की शक्तियाँ, कर्त्तव्य एवं कृत्य ।–

(1) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक एवं शैक्षणिक पदाधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के विनिश्चयों को प्रभावी करेंगे।

(2) कुलपति, यदि उनकी राय हो कि किसी विषय पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे और अगली बैठक में उनके द्वारा उस विषय में उस प्राधिकार को की गयी कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन देंगे;

परन्तु, शक्ति का इस प्रकार प्रयोग केवल आपात स्थितियों में किया जायेगा और किसी भी दशा में पदों के सृजन और उत्क्रमण तथा उसपर नियुक्तियों के संबंध में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि संबंधित प्राधिकार की राय हो कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तो उस विषय को कुलाधिपति को सन्दर्भित कर सकेंगे जिनका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा;

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित हो तो उसे, उस तिथि से जिस तिथि को विनिश्चय, उसे संसूचित किया गया हो, तीन माह के भीतर कुलाधिपति को उस कार्रवाई के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा और तब कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, उपांतरित अथवा उलट सकेंगे।

(3) यदि कुलपति की राय हो कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार की शक्तियों के बाहर है अथवा किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो संबंधित प्राधिकार से उस विनिश्चय की समीक्षा उस विनिश्चय की तिथि से साठ दिनों के भीतर करने हेतु कहेंगे और यदि वह प्राधिकार उस विनिश्चय की समीक्षा पूर्णतः या अंशतः करने से इन्कार करे अथवा उसके द्वारा उक्त साठ दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाये तो वह विषय कुलाधिपति को सन्दर्भित कर दिया जायगा, जिनका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम या विनियम द्वारा विहित किये जायें।

(5) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद्, वित्त समिति, अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष होंगे।

(6) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे एवं कार्यकारिणी परिषद्, अकादमिक परिषद् और वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगें।

36

13. कुलपति को पद से हटाया जाना ।–

(1) ऐसी जाँच–पड़ताल, जो आवश्यक समझा जाय के बाद, यदि कुलाधिपति को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कुलपति –

(i) इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के द्वारा या अधीन उन पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य के निर्वहन में असफल हो गये हैं, अथवा

(ii) विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल रीति से कार्य किये हैं, अथवा

(iii) विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने में असमर्थ रहे हैं, तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारण अधिकथित करते हुए और राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति से, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट तिथि से, अपने पद से त्यागपत्र देने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक विनिर्दिष्ट आधारों, जिस पर वह कार्रवाई प्रस्तावित हो, को अधिकथित करते हुए, एक सूचना तामील न की गयी हो और प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण बताने हेतु युक्तियुक्त अवसर कुलपति को न दे दिया गया हो।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तिथि को या से यह समझा जायेगा कि कुलपति ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और कुलपति का पद खाली समझा जायेगा।

14. डीन । –प्रत्येक डीन उस रीति से नियुक्त किये जायेंगे और उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उन कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

15. रजिस्ट्रार । –

(1) रजिस्ट्रार उस रीति से तथा उन निबंधन और सेवा शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें। तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम रजिस्ट्रार सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे तथा तीन वर्षों अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से एकरारनामा करने, दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेखों का अधिप्रमाणीकृत करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

16. वित्त पदाधिकारी । – वित्त पदाधिकारी, उस रीति से और उन निबंधन एवं सेवा शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।
तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम वित्त पदाधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे तथा तीन वर्षों तक अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।

17. परीक्षा नियंत्रक । –परीक्षा नियंत्रक, उस रीति से और उन निबंधन एवं सेवा शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।
तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम परीक्षा नियंत्रक सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे तथा तीन वर्षों तक अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।

18. अन्य पदाधिकारी । – विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य वही होंगे जो परिनियम द्वारा विहित किए जायें।

19. विश्वविद्यालय के प्राधिकार । –विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे:–

(1) सामान्य परिषद्
(2) कार्यकारिणी परिषद्
(3) शैक्षणिक परिषद्
(4) अध्ययन बोर्ड
(5) योजना बोर्ड
(6) संबद्धता बोर्ड
(7) वित्त समिति और
(8) अन्य ऐसे प्राधिकार जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये जायें।

20. सामान्य परिषद् । –

(1) सामान्य परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे: –

(i) कुलाधिपति;
(ii) मंत्री, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
(iii) मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
(iv) मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार;
(v) कुलपति;

(vi) सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;
(vii) मुख्य सचिव, बिहार सरकार;
(viii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
(ix) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
(x) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार;
(xi) निदेशक, भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, पटना;
(xii) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, पटना;
(xiii) निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (सीआईएम), पटना, बिहार;
(xiv) निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई), पटना, बिहार;
(xv) कुलाधिपति द्वारा नामित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति;
(xvi) बिहार सरकार द्वारा नामित सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, तीन साल की अवधि के लिए चक्रानुक्रम में;
(xvii) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार;

(2) (i) जहां कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण सामान्य परिषद् का सदस्य बन गया हो, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद पर नहीं रहे या उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाये;
(ii) पदेन सदस्यों के अलावा सामान्य परिषद के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी;
(iii) सामान्य परिषद् का कोई सदस्य सदस्य नहीं रहेगें यदि वह इस्तीफा दे देते हैं या विकृत दिमाग का हो जाते हैं, या दिवालिया हो जाते हैं या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिए दोषी ठहराये जाते हैं। कुलपति, रजिस्ट्रार के अलावा कोई सदस्य भी सदस्य नहीं रहेगें यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करते हैं; या यदि वह पदेन सदस्य न होने पर कुलाधिपति की अनुमति के बिना सामान्य परिषद की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहते हैं;
(iv) पदेन सदस्य के अलावा सामान्य परिषद् का कोई सदस्य कुलाधिपति को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकेंगे और ऐसा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद प्रभावी होगा;
(v) सामान्य परिषद् में किसी भी रिक्ति को संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नामांकन से भरा जायेगा और रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर ऐसा नामांकन प्रभावी नहीं रहेगा;

(3) सामान्य परिषद् की शक्तियां, कार्य और बैठकें–
(1) सामान्य परिषद् विश्वविद्यालय का पूर्ण प्राधिकरण होगा और समय–समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण और समीक्षा करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय तैयार करेगा और उसके पास निम्नलिखित शक्तियां और कार्य भी होंगे:–
(i) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तैयार वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और बजट अनुमानों पर विचार करना और उन्हें पारित करना और उपांतरण के साथ या बिना उन्हें अपनाना;
(ii) अपने कार्यों के निर्वहन में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करने सहित विश्वविद्यालय के मामलों के प्रशासन से संबंधित परिनियम बनाना;
(2) (i) सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और सामान्य परिषद् की वार्षिक बैठक कुलाधिपति के द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी;
(ii) पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कामकाज की एक रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण के साथ, संपरीक्षित बैलेंस शीट, और वित्तीय अनुमान कुलपति द्वारा अपनी वार्षिक बैठकों में सामान्य परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे;
(iii) सामान्य परिषद् की बैठकें कुलाधिपति द्वारा या तो अपने प्रस्ताव पर या सामान्य परिषद् के कम से कम दस सदस्यों की मांग पर बुलाई जाएंगी;

34

(iv) सामान्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिए चौदह दिन का नोटिस दिया जाएगा; तथापि, आकस्मिक स्थिति में कुलाधिपति द्वारा अल्प सूचना पर सामान्य परिषद् की बैठक बुलाई जा सकेगी;

(v) सामान्य परिषद् की नामावली में मौजूद एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी;

(vi) प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि सामान्य परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की समानता होती है, तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले कुलाधिपति के पास, अपने मत के अलावा, एक निर्णायक मत होगा;

21. ***कार्यकारिणी परिषद्*** –

(1) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा।

(2) कार्यकारिणी परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगेः –

(i) विश्वविद्यालय के कुलपति;

(ii) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो;

(iii) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो;

(iv) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो;

(v) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(vi) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(vii) निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (सीआईएम), पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(viii) निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई), पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(ix) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार;

(x) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार (कुलसचिव);

(xi) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले तीन शिक्षक, जिनमें से एक विभाग के प्रमुखों में से, एक प्रोफेसरों से और एक एसोसिएट प्रोफेसर से एक–एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम में सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों से होगा।

(3) कुलपति, कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष होंगे:

(i) जहां कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण कार्यकारिणी परिषद् का सदस्य बन गया हो, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद पर नहीं रहे या उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाये;

(ii) पदेन सदस्यों को छोड़कर कार्यकारिणी परिषद् के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी;

(iii) कार्यकारिणी परिषद् का कोई सदस्य सदस्य नहीं रहेगा यदि वह त्यागपत्र दे देता है या विकृत दिमाग का हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। कुलपति तथा रजिस्ट्रार के अलावा कोई अन्य सदस्य भी सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है;

(iv) पदेन सदस्य के अलावा कार्यकारिणी परिषद् का कोई सदस्य कुलपति को संबोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उसके द्वारा स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद प्रभावी होगा;

(v) कार्यकारिणी परिषद् में किसी भी रिक्ति को संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नामांकन से भरा जाएगा तथा रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर,ऐसा नामांकन प्रभावी नही रहेगा।

(4) कार्यकारिणी परिषद् की शक्तियां, कार्य और बैठकें:

I. कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण होगा और इस प्रकार इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गये परिनियमों के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए इसे आवश्यक सभी शक्तियां होंगी, और इस प्रयोजन के लिए और इसमें उपबंधित विषयों के संबंध में भी विनियम बना सकेगी।

II. कार्यकारिणी परिषद् के पास निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे:

(i) सामान्य परिषद् की वार्षिक बैठकों के लिए निम्नलिखित को तैयार करना और प्रस्तुत करना;
  (क) विश्वविद्यालय के कामकाज पर एक रिपोर्ट;
  (ख) खातों का विवरण;
  (ग) आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव।

(ii) विश्वविद्यालय के वित्त, खातों, निवेशों, संपत्तियों, व्यवसाय और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन और विनियमन करना और इस प्रयोजन के लिए समितियों का गठन करना और ऐसी समितियों या विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारियों को अधिकार सौंपना जो वह उचित समझे;

(iii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(iv) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उसमें बदलाव करना, उसे पूरा करना और रद्द करना और इस प्रयोजन के लिए ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त करना जिन्हें वह ठीक समझे;

(v) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण और अन्य साधन उपलब्ध कराना;

(vi) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों की किसी भी शिकायत को लेना, उस पर न्याय निर्णय करना और यदि वह ठीक समझे तो उसका निवारण करना;

(vii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या और परिलब्धियों का निर्धारण करना, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों पर विनिर्दिष्ट करना जो इस निमित्त बनाए गए परिनियमों एवं विनियमों द्वारा विहित किया जाय;

(viii) परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरों) को नियुक्त करना, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियां और यात्रा एवं अन्य भत्ते अकादमिक परिषद् से परामर्श करने के बाद नियत करना;

(ix) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना; तथा

(x) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो आवश्यक समझे जाये या इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित किया जाय।

III. (i) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक कम से कम चार महीने में एक बार होगी और ऐसी बैठकों की कम से कम चौदह दिन की सूचना दी जाएगी;

(ii) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक कुलपति के निर्देशों के अधीन या कार्यकारिणी परिषद् के कम से कम पांच सदस्यों के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा बुलाई जाएगी;

(iii) कार्यकारिणी परिषद् के आधे सदस्य से किसी भी बैठक की गणपूर्ति होगी;

(iv) सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में, बहुमत की राय अभिभावी होगी;

(v) कार्यकारिणी परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता हो, तो यथास्थिति कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य के पास अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;

(vi) कार्यकारिणी परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी;

32

(vii) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों को कागजात के संचलन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे। इस प्रकार लिए गए निर्णय तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं दी जाती हो। ऐसे निर्णय कार्यकारिणी परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल सूचित किये जाएंगे। यदि कार्यकारिणी परिषद् निर्णय लेने में विफल रहती है तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

22. अकादमिक परिषद् । –

(1) अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(2) अकादमिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:

- (i) कुलपति, अध्यक्ष होंगे;
- (ii) निदेशक, भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;
- (iii) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;
- (iv) निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (सीआईएम), पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;
- (v) निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई), पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;
- (vi) विभागाध्यक्ष, वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, पटना;
- (vii) कुलाधिपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से तीन व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति या विद्वान पेशे के सदस्य या प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति, जो सेवा में नहीं हों;
- (viii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक नामांकित व्यक्ति;
- (ix) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार;
- (x) बिहार के सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों के दस प्राचार्य तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम में बिहार सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे;
- (xi) कुलपति द्वारा तीन वर्षों के लिए नामित शिक्षण स्टाफ के तीन सदस्य एक–एक क्रमशः सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों के जो प्रोफेसर, एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर का प्रतिनिधित्व करते हों;

(3) अकादमिक परिषद् की शक्तियाँ, कार्य और बैठक ।–अधिनियम, परिनियम और विनियमों के प्रावधानों और कार्यकारिणी परिषद् के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय में शैक्षणिक मामलों का प्रबंधन करेगी और विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और पालन करेगी,अर्थात्

- (i) सामान्य परिषद् या कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट या सौंपे गए किसी भी मामले पर रिपोर्ट करना;
- (ii) विश्वविद्यालय में पदों के सृजन, उन्मूलन या वर्गीकरण और देय परिलब्धियों और उससे जुड़े कर्तव्यों के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् को सिफारिशें करना;
- (iii) संकायों के संगठन के लिए योजनाओं को तैयार करना और उपांतरित करना या संशोधित करना, और ऐसे संकायों को उनसे संबंधित विषयों को सौंपना और कार्यकारिणी परिषद् को किसी भी संकाय के उन्मूलन या उप–विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के बारे में रिपोर्ट करना;
- (iv) विश्वविद्यालय के अधीन अनुसंधान को बढ़ावा देना और समय–समय पर इस तरह के अनुसंधान पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;
- (v) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;
- (vi) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिग्री की मान्यता की सिफारिश करना और विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में उनकी समकक्षता का निर्धारण करना ;

(vii) सामान्य परिषद् द्वारा स्वीकार की गई किसी भी शर्त के अधीन, फेलोशिप, छात्रवृत्ति और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा का समय, तरीका और शर्तें तय करना और उसी के पुरस्कार के लिए सिफारिश करना;

(viii) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाने और उनकी फीस, परिलब्धियां और यात्रा और अन्य खर्चों के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् को सिफारिशें करना;

(ix) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था और उन्हें आयोजित करने की तारीख की सिफारिश करना ;

(x) विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा या समीक्षा करना या ऐसा करने के लिए समितियों या पदाधिकारियों को नियुक्त करना और डिग्री, सम्मान, लाइसेंस, उपाधि और सम्मान के अंक प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में सिफारिशें करना;

(xi) वजीफा, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार की सिफारिश करना और विनियमों के अनुसार और ऐसी अन्य शर्तों पर अन्य पुरस्कार देना जो पुरस्कारों से संलग्न किए जाये;

(xii) निर्धारित या अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूचियों को अनुमोदित या संशोधित करना एवं प्रकाशित करना और अध्ययन के लिए पाठ्यक्रमों एवं पाठ्य विवरणों को अनुमोदित करना;

(xiii) ऐसे प्रपत्रों और पंजियों (रजिस्टरों) को अनुमोदित करना जो समय–समय पर विनियमों द्वारा अपेक्षित हों;

(xiv) शैक्षणिक मामलों के संबंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम, परिनियम और इसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।

(4) (i) अकादमिक परिषद् जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगी, लेकिन एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार बैठक होगी;

(ii) अकादमिक परिषद् के मौजूदा सदस्यों में से आधे सदस्यों से अकादमिक परिषद् की बैठक की गणपूर्ति होगी;

(iii) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी;

(iv) अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष सहित अकादमिक परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि अकादमिक परिषद्, द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता होती है तो यथास्थिति अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;

(v) अकादमिक परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में इस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए बैठक में चुने गए सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी;

(vi) यदि अकादमिक परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष अकादमिक परिषद् के सदस्यों को कागजात के संचलन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे। लिया गया निर्णय तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि अकादमिक परिषद् के सदस्यों के बहुमत से सहमति न हो। इस प्रकार लिए गए निर्णय की सूचना अकादमिक परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल दी जाएगी। यदि अकादमिक परिषद् निर्णय लेने में विफल रहती है, तो मामला कुलाधिपति को सन्दर्भित किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

23. योजना बोर्ड । –

(1). योजना बोर्ड अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के विकास और संवृद्धि के लिए योजना तैयार करने हेतु प्रमुख निकाय होगा।

(2) योजना बोर्ड का गठन निम्नलिखित से होगाः –

(i) कुलाधिपति;

(ii) मंत्री, वित्त विभाग, बिहार सरकार;

(iii) मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;

(iv) मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार;

30

(v) कुलपति;
(vi) मुख्य सचिव, बिहार सरकार;
(vii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
(viii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
(ix) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार;
(x) निदेशक, भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, पटना;
(xi) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान . पटना;
(xii) निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (सीआईएम), पटना, बिहार;
(xiii) निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई), पटना, बिहार;
(xiv) कुलाधिपति द्वारा नामित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दो प्रख्यात प्रोफेसर;
(xv) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नामांकित व्यक्ति;
(xvi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नामांकित व्यक्ति।
(xvii) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार (कुलसचिव);

(3) योजना बोर्ड वर्ष में एक बार बैठक करेगा और विश्वविद्यालय के भविष्य के कार्यक्रमों की योजना तैयार करेगा और अकादमिक परिषद् और कार्यकारिणी परिषद् को इसकी सिफारिश करेगा। यह जब कभी आवश्यक हो विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में दीर्घकालीन योजनाओं की भी सिफारिश करेगा।

24. अध्ययन बोर्ड । –अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

25. संबद्धता बोर्ड ।–

(1) संबद्धता बोर्ड विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों एवं संस्थाओं को संबद्धता देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) संबद्धता बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उसके कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

26. वित्त समिति । –वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

27. अन्य प्राधिकार । –विश्वविद्यालय के प्राधिकार होने के लिए परिनियम द्वारा घोषित अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किए जायेंगे।

28. परिनियम बनाने की शक्ति । –इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित सभी विषयों या किसी के लिए परिनियम का प्रावधान किया जा सकेगा, अर्थात् :

(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकार तथा अन्य निकायों का गठन जो समय–समय पर गठित किया जाना आवश्यक पाया जाये तथा उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;

(2) विश्वविद्यालय के उक्त प्राधिकारों एवं निकायों के सदस्यों की नियुक्ति तथा उन्हें पद पर बनाये रखना, सदस्यों की रिक्तियों को भरना तथा उन प्राधिकारों एवं अन्य निकायों से संबंधित सभी अन्य विषय जिनके लिए प्रावधान करना आवश्यक एवं वांछनीय हो;

(3) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्त्तव्य तथा उनकी सेवा के निबंधन एवं शर्तें;

(4) पेंशन या भविष्य निधि का गठन तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा स्कीम की स्थापना;

(5) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वरीयता को निर्धारित करने वाले सिद्धांत;

(6) कर्मचारियों या छात्रों तथा विश्वविद्यालयों के बीच विवाद की दशा में मध्यस्थता की प्रक्रिया;

(7) विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार की कार्रवाई के विरूद्ध कर्मचारी अथवा छात्र द्वारा कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अपील की प्रक्रिया;

(8) स्वायत्तता का विस्तार, जिसे कोई महाविद्यालय या संस्था एक स्वायत्त महाविद्यालय या संस्था के रूप में घोषित करें, का प्रयोग कर सकेंगे;

(9) मानद डिग्रियाँ देना;

(10) डिग्री, सर्टिफिकेट एवं अन्य उपाधियों की वापसी;

(11) अध्येतावृत्ति (फेलोशीप), छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, मेडल तथा इनाम एवं अन्य प्रोत्साहन संस्थित करना; विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और;

(12) सभी अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन परिनियम द्वारा उपबंध किये गये हों अथवा किये जायें।

२९

29. परिनियम कैसे बनाया जायेगा । –

(1) प्रथम परिनियम सामान्य परिषद् की अनुशंसा पर सरकार द्वारा बनाया जायेगा।

(2) सामान्य परिषद्, समय–समय पर, नया अथवा अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी अथवा उपधारा (1) में निर्देशित परिनियम को संशोधित अथवा निरसित कर सकेगी;

परन्तु सामान्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की स्थिति, शक्ति अथवा गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम नहीं बनायेगी, संशोधित अथवा निरसित नही करेगी जब तक कि उस प्राधिकार को, प्रस्तावित परिवर्तन पर, लिखित रूप से, अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और उस अभिव्यक्त राय पर सामान्य परिषद् द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

(3) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियम में परिवर्धन अथवा उसके संशोधन या निरसन में कुलाधिपति की सहमति अपेक्षित होगी।

परन्तु यदि कोई वित्तीय निहितार्थ परिनियम के तहत उत्पन्न हो, तो यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाये।

30. विनियम । –विश्वविद्यालय के प्राधिकार, इस अधिनियम और परिनियम के अनुरूप अपने स्वयं के कार्य के संचालन के लिए विहित रीति से और समितियों के लिए, यदि कोई हो, जो उनके द्वारा नियुक्त हों और इस अधिनियम, परिनियम द्वारा उपबंधित न हों तथा ऐसे विषयों के लिए जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें विनियम बना सकेंगे। परन्तु, यदि कोई वित्तीय निहितार्थ विनियम के तहत उत्पन्न हो, तो यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाये।

31. वार्षिक प्रतिवेदन । –

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसमें अन्य विषय एवं विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे तथा परिनियम द्वारा यथाविहित तिथि को या उसके बाद सामान्य परिषद् को समर्पित किये जायेंगे और सामान्य परिषद् अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगी।

(2) सामान्य परिषद् अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को समर्पित करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को भी समर्पित की जाएगी।

32. निधि ।–

(1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे :–

(i) फीस, अनुदान, दान एवं उपहार, यदि कोई हो;

(ii) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, वास्तुकला परिषद् अथवा ऐसे ही प्राधिकार, किसी स्थानीय प्राधिकार अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान; और

(iii) विन्यास एवं अन्य प्राप्तियाँ।

(2) विश्वविद्यालय को ऐसी अन्य निधि हो सकेगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाये।

(3) विश्वविद्यालय की निधि और सभी धन का प्रबंधन उस रीति से किया जायेगा जो परिनियम द्वारा विहित की जाये।

(4) सरकार, प्रत्येक वर्ष, अध्ययन एवं शोध के उन्नयन एवं उसे सुकर बनाने तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करा सकेगी।

33. लेखा एवं लेखा परीक्षा । –

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा एवं तुलन पत्र कार्यकारिणी परिषद् के निदेश के अधीन तैयार किया जायेगा और प्रत्येक वर्ष कम–से–कम एक बार अथवा कम–से–कम पंद्रह माह के अन्तराल पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जिसे इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किया जाये, लेखा परीक्षा कराया जाएगा।

(2) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, कार्यकारिणी परिषद् की टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, सामान्य परिषद् और कुलाधिपति को समर्पित की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा की गयी कोई टिप्पणी सामान्य परिषद् की जानकारी में लायी जायेगी तथा सामान्य परिषद् की टिप्पणी यदि कोई हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विचार किये जाने के बाद, कुलाधिपति को समर्पित की जायेगी।

(4) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, जो कुलाधिपति को समर्पित की गयी हो, सरकार को भी समर्पित की जायेगी।

28

34. रिटर्न (विवरणी) आदि प्रस्तुत करना ।–विश्वविद्यालय ऐसे रिटर्न या अपनी सम्पत्ति या क्रियाकलापों के संबंध में अन्य जानकारी सरकार को प्रस्तुत करेगा जिनकी सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे।

35. कर्मचारियों की सेवा शर्तें।–विश्वविद्यालय के पदधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तें परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट होंगी।

36. विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग का गठन । –

(1) कुलाधिपति, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या सरकार के अनुरोध पर, हर पांच साल में कम से कम एक बार, विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे।

(2) आयोग का गठन कम से कम तीन प्रख्यात शिक्षाविदों से होगा, जिनमें से एक सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा।

(3) सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो कुलाधिपति निर्धारित करें।

(4) आयोग ऐसी जांच करने के बाद जो वह ठीक समझे, सरकार को एक प्रति के साथ कुलाधिपति को अपनी सिफारिशें देगा।

(5) कुलाधिपति सिफारिशों पर सरकार के परामर्श से ऐसी कार्रवाई कर सकेंगे जो वह ठीक समझे।

37. अपील का अधिकार । –विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था का प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार के विनिश्चय के विरूद्ध कुलाधिपति के समक्ष, उस समय के भीतर, जो परिनियम द्वारा विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और तब कुलाधिपति जिस विनिश्चय के विरूद्ध अपील किया गया हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित कर सकेंगे अथवा उलट सकेंगे।

38. भविष्य तथा पेंशन निधि । –विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन अथवा ऐसी बीमा स्कीम का प्रावधान सरकार के परामर्श से परिनियम द्वारा, यथाविहित रीति से ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा, जो वह उचित समझे।

39. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों एवं निकायों के गठन के संबंध में विवाद ।–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त है अथवा सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को संदर्भित कर दिया जायेगा जिनका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

40. आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना । –विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों के सिवाय, सदस्यों मे से सभी आकस्मिक रिक्तियाँ, यथाशक्य शीघ्र, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरें जायेंगे जो सदस्यों को नियुक्त, निर्वाचित या सहयुक्त करता हो और जिसका स्थान रिक्त हो गया हो और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्ति, निर्वाचित या सहयुक्त कोई व्यक्ति उस अवशिष्ट अवधि के लिए उस प्राधिकार या निकाय का सदस्य होगा जिसका स्थान वह भरता हो।

41. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना । –विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों के बीच किसी रिक्ति या रिक्तियों के होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

42. सद्‌भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण ।–विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा किसी प्राधिकार के विरूद्ध इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के किसी प्रावधान के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गए या सद्भाव के आशय से किये गए कुछ भी के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

43. विश्वविद्यालय अभिलेख के सबूत के ढंग । –भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्राधिकार या अन्य निकाय की कोई रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा विश्वविद्यालय के कब्जे में किसी अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की प्रति इस प्रकार अभिहित रजिस्ट्रार द्वारा यदि प्रमाणित हो तो वह रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टि प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जायेगी और उनके विषयों और संव्यवहारों, जहाँ उसका मूल, यदि उपस्थापित किया जाये वहाँ साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हों, को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

44. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति । –इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत न हो तथा उस कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद नहीं किया जायेगा;

परन्तु, यह और कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र, विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

45. संक्रमणकालीन उपबंध ।–इस अधिनियम, परिनियम या विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्थान का कोई छात्र, जो विश्वविद्यालय से संबद्धता की तारीख से ठीक पहले अध्ययन कर रहा था या अन्य विश्वविद्यालयों की किसी भी परीक्षा के लिए पात्र था, को पाठ्क्रम की

27

तैयारी में इसे पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे छात्रों के निर्देश, शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए ऐसी अवधि और रीति का उपबंध करेगी जो विहित की जाये।

पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव।

9 अगस्त 2021

सं० एल०जी०–01–16/2021–***4291/लेज***—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2021 को अनुमत ***बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 20, 2021)*** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा मे प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 20, 2021]

THE BIHAR ENGINEERING UNIVERSITY ACT, 2021

AN

ACT

To establish and incorporate a University in the name of **Bihar Engineering University in the State of Bihar** to conduct and facilitate affiliation of institutions set up by the Government and/or the Trust or Society or Company in the conventional as well as new frontiers of Engineering & Technology, Architecture and Planning, Management Programme and also to achieve excellence in teaching, research and extension work in these areas and other matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-Second year of the Republic of India as follows.

1. ***Short title, extent and commencement.—***
   (1) This Act may be called as The Bihar Engineering University Act, 2021.
   (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official gazette, specify.

2. ***Definitions.-****In this Act, unless the context otherwise requires .*
   (1) ***'Academic Council'*** means the Academic Council of the University;
   (2) ***'Affiliated Institution'*** means an institution affiliated by the University;
   (3) ***'Affiliation'*** means affiliation granted by the University in accordance with the Statutes and Regulations made for the purpose;
   (4) ***'All India Council for Technical Education'*** (A.I.C.T.E.) means Council constituted under All India Council for Technical Education Act, 1987 (Central Act 52 of 1987);
   (5) ***'Chancellor'*** means the Chancellor of the University;
   (6) ***'Chief Minister'*** means Chief Minister of the State of Bihar;
   (7) ***'College'*** means a college teaching courses leading to a Bachelor or Higher degree in Engineering and Technology, Architecture and Planning.
   (8) ***'Council of Architecture'*** (C.O.A.) means the Council constituted under section 3 of the Architects Act, 1972 (Act 20 of 1972);

26

(9) ***'Courses in Engineering & Technology, Architecture and Planning'*** means courses leading to a Bachelor or Higher degree in relevant programme of Engineering and Technology, Architecture and Planning as approved by All India Council for Technical Education and other concerned Apex Regulatory Body;

(10) ***'Employee'*** means any person appointed by the University;

(11) ***'Executive Council'*** means the Executive Council of the University;

(12) ***'Finance committee'*** means the finance committee of the University;

(13) ***'General council'*** means General council of the University;

(14) ***'Government'*** means the Government of Bihar;

(15) ***'Institution'*** means an academic institution or a college imparting education in the field of Engineering and Technology, Architecture and Planning leading to a Bachelor or Higher Degree

(16) ***'Manangement Programme'*** means Courses in Management as approved by AICTE and conducted by the institution.

(17) ***'Misconduct'*** means a misconduct prescribed by the Statutes;

(18) ***'Notification'*** means a notification published in the official Gazette;

(19) ***'Planning Board'*** means the 'Planning Board' of the University;

(20) ***'Principal'*** means the head of a college and includes, where there is no principal, the person who is for the time being duly appointed to act as the Principal;

(21) ***'Reservation in admissions'*** means the reservation in admission defined under section 8 of this Act.

(22) ***'Screening committee'*** means the committee as constituted under section 11(3) of this Act.

(23) ***'Self-financing institution'*** means those institutions which are set-up by a Trust or a Society or a Company and are Self Financing imparting education in the field of Engineering and Technology, Architecture and Planning leading to Bachelor or Higher Degree

(24) ***'Statutes'*** and ***'Regulations'*** mean respectively the Statutes and Regulations of the University for the time being in force;

(25) ***'Technical Education'*** means the Technical Education as defined by A.I.C.T.E;

(26) ***'University'*** means the Bihar Engineering University as incorporated under this Act;

(27) ***'University Grants Commission'*** (U.G.C.) means the Commission established under Section- 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act 3 of 1956);

(28) ***'University Review Commission'*** means the commission defined under section- 36 of this Act;

(29) ***'Vice-Chancellor'*** means the Vice Chancellor of the University;

(30) The words and expressions used herein and not defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. *Incorporation.—*

(1) With effect from such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint, there shall be established a university by the name of Bihar Engineering University comprising the Chancellor and the Vice-Chancellor, the first members of the General council, the Executive Council and the Academic Council of the University and all such persons

25

as may hereafter be appointed to such office or as members so long as they continue to hold such office or membership.

(2) The University shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue or be sued.

(3) The headquarters of the University shall be at such place as the Government, may, by notification in the official Gazette specify.

4. ***Jurisdiction.—***

(1) The jurisdiction of the University shall extend to the whole of the State of Bihar.

(2) All Engineering colleges and institutions established by the Government and affiliated to the existing Universities of the State or to be established in future imparting education in Engineering and Technology, Architecture and Planning, Management Programme and courses, as defined under Technical Education by All India council for Technical Education and concerned other Apex Regulatory Body, shall be eligible for affiliation with the University from such date as the Government may, by notification in the official Gazette appoint, and in the manner prescribed by the Statutes or Regulations made in this regard.

(3) Notwithstanding anything contained in any other State laws for the time being in force, the college or institutions as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette, imparting education in Engineering and Technology, Architecture and Planning Programme and affiliated by any other University established by law of the State Legislature shall cease to be affiliated from the University to which such colleges or institutions have been affiliated and such colleges or institutions shall be deemed to be affiliated to the University from such date as specified in the said notification.

(4) The University may impose such terms and conditions upon the colleges or institutions as it may consider necessary, conducive or incidental to the attainment of all or any of the objects of the University and then grant affiliation.

(5) Existing college or institution, set up by a Trust or a Society or a Company as a self-financing institution imparting Education in Engineering and Technology, Architecture and Planning, Management Programme, shall get affiliated with the University subject to fulfillment of conditions laid down under Statutes and Regulations made in this regard.

5. ***Objectives of the University.***—The objectives of the University shall be to develop the knowledge of Science, Engineering and Technology, Architecture and Planning, Management and to develop environment for the advancement of quality of life of the mankind in general and in relation to the domain of engineering and technological development and applications.

The prime objectives of the University shall be to create centers and institutes of excellence in basic and applied Science, Engineering and Technology, Architecture and Planning, Management in particular and other objects shall be as follows, namely:

(1) To create institutes and centers of excellence for imparting State-of the-art education, training and research in the fields of Engineering and

24

Technology as well as Architecture and Planning, Management;

(2) To create capabilities for development of knowledge, skill and competency at various levels;

(3) To create capabilities for upgrading the infrastructure of global standard for education, training and research in the areas related to Engineering and Technology, Architecture and Planning, Management and Science;

(4) To develop patterns of teaching and training at various levels of educational accomplishments so as to set high standards of education in Science, Engineering and Technology, Architecture and Planning, Management;

(5) To function as a leading resource center for knowledge management and entrepreneurship development in the areas of Science, Engineering and Technology, Architecture and Planning, Management;

(6) To provide inter-relationship for national and global participation in the fields of Science, Engineering and Technology, Architecture and Planning, Management;

(7) To establish close linkages with industry to make teaching, training and research at the University relevant to the needs of the industry at national and global levels;

(8) To make such provisions as would enable affiliated colleges to undertake specialization of studies.

6. *Powers and Functions of the University.*—The University shall have the following powers and functions, namely:

(1) To provide for instruction, training and research in such branches of knowledge or learning pertaining to Science, Engineering and Technology, Architecture and Planning, Management and allied areas for furtherance of the objectives of the University;

(2) To conduct innovative experiments in new methods and technologies in the field of Science, Engineering and Technology, Architecture and Planning, Management in order to achieve international standards of such education, training and research;

(3) To prescribe course of study and curricula and provide for flexibility in the education systems and delivery methodologies including electronic and distance learning,

(4) To hold examinations and confer degrees, or grant certificates and other academic distinctions or titles on person's subject to such condition as the University may determine, and to withdraw or cancel any such degrees, certificates or other academic distinctions or titles in the prescribed manner;

(5) To confer honorary degrees or other distinctions in the prescribed manner;

(6) To provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions, workshops, seminars, conferences etc.

(7) To sponsor and undertake research in all aspects of Science, Engineering and Technology, Architecture and Planning, Management;

(8) To develop and maintain linkages with educational/ industrial or other institutions in any part of the world having objects wholly or partly similar to those of the University, through exchange of teachers, scholars,

industrial experts and generally in such manner as may be conducive to their common objects;

(9) To appoint academic, technical, administrative, managerial, advisory, ministerial and other support services posts as required for the University;

(10) To lay down conditions of services of all categories of staff, including their code of conduct;

(11) To regulate fees and other charges to be levied on the students of self-financing institutions affiliated to the University;

(12) To develop and revise curriculum as required in co-ordination with all stake holders.

(13) To liaise with Ministry of Human Resource Development, Government of India, Ministry of Science and Technology, Government of India, Department of Science and Technology along with other related Departments, Government of Bihar and apex regulatory bodies like All India council for Technical Education, University Grants Commission, Council of Architecture (CoA) as the case may be;

(14) To develop and maintain relationships with teachers, researchers and experts in any part of the world for achieving the objects of the University;

(15) To regulate the expenditure, manage the finances and to maintain accounts of the University;

(16) To receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of University and consistent with the objects of the University and to enter into any agreement with Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities or bodies for receiving any grants;

(17) To receive funds from Industry, national and international organizations or any other sources as gifts, donations, benefactions, bequests for the purposes and objects of the University;

(18) To fix, demand and receive or recover fees and such other charges as may be prescribed;

(19) To institute and award fellowships, scholarships, prizes, medals and other awards;

(20) To purchase or to take on lease or accept as gifts or otherwise any land or building or works which may be necessary or convenient for the purpose of the University on such terms and conditions as it may think fit and to construct, alter and maintain any such buildings or works;

(21) To sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may think fit, consistent with the interest, activities and objects of the University; Provided in case of immovable properties, previous sanction of the Government is required.

(22) To regulate and enforce discipline among the officers and employees of the University and to provide for such disciplinary measures as may be prescribed;

(23) To delegate all or any of its powers (except the power to make statutes and regulations) to any other officer or authority of the University and to do such other acts and things as the University may consider necessary,

conducive or incidental to the attainment or enlargement of all or any of the objects of the University,

7. ***University open to all persons irrespective of gender, class or creed.***—The University shall be open to all persons irrespective of sex , caste, creed, race or class and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be appointed to hold any office therein or be admitted as a student in the University or to graduate there at or to enjoy or exercise any privilege thereof; Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for the employment or admission of women, persons with physical disabilities or persons belonging to socially and educationally backward classes of the society or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

8. ***Reservation in admissions.***—Without affecting the provisions of vertical reservations, as applicable from time to time for admission in the educational institutions in the state of Bihar, one-third of total seats of all the courses and categories in each institution and college affiliated with the University shall be horizontally reserved for admission of women candidates.

Provided that this benefit shall be available only to the women domiciled in the State of Bihar. In the absence of eligible women candidates, the vacant seats in the same academic session shall be filled up by the male candidates from the relevant category (reserved/unreserved).

For the implementation of these provisions, the Government may issue orders as required from time to time.

9. ***The Chancellor.***—

(1) The Chief Minister of Bihar, by virtue of his office, shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor, when present, shall preside over the convocations of the University and the meetings of the General Council.

(3) The Chancellor shall have the right to cause an inspection , to be made by such person or persons as he may direct, of the University, a college or an institution affiliated by the University, their buildings, laboratories and equipment, and also of the examination, teaching and other work conducted or done by the University, college or institution, as the case may be, and to cause an inquiry or to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the University, college or institution, as the case may be;

(4) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University or to the colleges or institutions of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University or the colleges or institutions, as the case may be, shall, on receipt of such notice, have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary, within such period as specified in the notice.

(5) After considering the representation, if any, made by the University or the college or institution, Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3).

(6) Where an inspection or inquiry has been caused to be made by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(7) The Chancellor may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry as is referred to in sub-section(3) and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the Chancellor with such advice as the Chancellor may be pleased to offer upon the action to be taken thereon.

(8) The Chancellor may, if the inspection or inquiry is made in respect of any college or institution affiliated to the University, address the Executive council concerned through the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, his views thereon and such advice as he may be pleased to offer upon the action to be taken thereon.

(9) The Executive Council shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has been taken by it upon the result of such inspection or inquiry.

(10) Where, the Executive Council as the case may be, does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council issue such directions as he may think fit and the Executive Council shall comply with such directions.

(11) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Regulations; Provided that before making any such order, the Chancellor shall call upon the Registrar to show cause why such an order should not be made, and if any cause is shown within a reasonable time, he shall consider the same.

(12) In case of differences among the authorities or officers of the University on any matter which cannot be otherwise resolved the decision of the Chancellor shall be final.

(13) The Chancellor shall have such other powers as may be prescribed by the Statutes.

10. ***Officers of the University.***—*The following shall be officers of the University:*

(1) The Vice-Chancellor;
(2) The Deans;
(3) The Registrar;
(4) The Finance Officer;
(5) The Examination Controller;
(6) The Librarian;
(7) Such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

11. ***Vice-Chancellor.***—

(1) The Vice-Chancellor shall be an academician and scholar of repute having experience in the field of engineering and technology education or an eminent technologist or an administrator with an academic background of engineering and technology having adequate experience in human resource development.

(2) The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the Minister, Department of Science and Technology, Government of Bihar from out of a panel of not less than three persons

recommended (the names being arranged in the alphabetical order) by a Screening Committee constituted under sub-section (3); Provided that if the Chancellor does not approve of any of the persons so recommended, he may call for the fresh recommendations;

(3) The Screening Committee referred to in sub-section (2) shall consist of three members of whom one shall be nominated by the Executive Council, one by the Chancellor and one by the Government, and the member nominated by the Government shall be convener of the committee; Provided that none of the members of the Committee shall be an employee of the University;

Provided further, that the panel shall be prepared from out of candidates who submit their curriculum vitae or is sponsored by some reputed persons or institutions in the field of Engineering and Technology.

(4) The first Vice Chancellor shall be appointed by the Government.

(5) The Vice Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office;

Provided that the Chancellor may require the Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year as may be specified by him;

Provided also that the maximum age limit for continuance upon the office of the Vice Chancellor will be seventy-five years.

(6) The emoluments and other conditions of service of the Vice Chancellor shall be as prescribed by Statutes;

(7) If the office of the Vice Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the Chancellor shall have the authority to designate any eminent person to perform the functions of the Vice Chancellor until the new Vice Chancellor assumes his office or until the existing Vice Chancellor attends to the duties of his office, as the case may be.

12. ***Powers, duties and functions of the Vice-Chancellor.—***

(1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.

(2) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority at its next meeting the action taken by him on such matter;

Provided that such exercise of power shall be made only in emergent situations and in no case in respect of creation, and up gradation of posts and appointments thereto;

Provided further that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final;

Provided also that if any person in the service of the University who is aggrieved by the actions taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against

such action to the Chancellor within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and there upon the Chancellor may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(3) The Vice-Chancellor, if he is of the opinion that any decision of any authority of the University is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act, the Statutes, the Regulations or that, any decision taken is not in the interest of the University, may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review the decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or the Regulations.

(5) The Vice-Chancellor shall be the chairman of the Executive Council, Finance Committee, Academic Council of the University.

(6) The Vice Chancellor shall, in the absence of the Chancellor, preside at any convocation of the University and shall preside at the meeting of the Executive council, Academic Council and the Finance Committee,

13. ***Removal of the Vice-Chancellor.—***

(1) If at any time and after such enquiry as may be considered necessary, it appears, to the Chancellor that the Vice-Chancellor: -

(i) Has failed to discharge any duty imposed upon him, by, or under this Act, the Statutes and Regulations;

(ii) Has acted in a manner prejudicial to the interests of the University, or

(iii) Has been incapable of managing the affairs of the University.

The Chancellor may, notwithstanding the fact that the term of office of the Vice-Chancellor has not expired, require the Vice-Chancellor, by an order in writing stating the reasons thereof, and after consulting the State Government, to resign his post from the date as may be specified in the order.

(2) No orders under sub-section-1 shall be passed unless a notice stating the specific grounds on which such action is proposed has been served and a reasonable opportunity to show cause against the proposed order has been given to the Vice-Chancellor.

(3) On and from the date specified in sub-section-1, it shall be deemed that the Vice Chancellor has resigned his post and office of the Vice-Chancellor shall be deemed vacant.

14. ***The Dean.***—Every Dean shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

15. ***The Registrar.—***

(1) The Registrar shall be appointed in such manner, on such terms and other conditions of service as may be prescribed by the Statutes. However, the first Registrar of the University shall be appointed by the Government and shall hold office for a term of three years or till the appointment of the Registrar as prescribed by the statutes, whichever is earlier;

18

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

16. ***The Finance Officer.***—The Finance Officer shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes. However, the first Finance Officer of the University shall be appointed by the Government and shall hold office for a term of three years or till the appointment of the Finance Officer as prescribed by the statutes, whichever is earlier;

17. ***The Examination Controller.***—The Examination Controller shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the statutes. However, the first Examination Controller shall be appointed by the Government and shall hold office for a term of three years or till the appointment of the Examination Controller, as prescribed by the statutes, whichever is earlier.

18. ***Other Officers.***—The manner of appointment and powers and duties of other officers of the University shall be prescribed by the Statutes.

19. ***Authorities of the University.***—*The following shall be the authorities of the University:*

(1) The General Council;
(2) The Executive Council;
(3) The Academic Council;
(4) The Board of Studies;
(5) The Board of Planning;
(6) The Board of Affiliation;
(7) The Finance Committee; and
(8) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

20. ***The General Council.***—

(1) The General Council shall consist of the following persons: -

(i) Chancellor;
(ii) Minister, Department of Finance, Government of Bihar;
(iii) Minister, Department of Education, Government of Bihar;
(iv) Minister, Department of Science and Technology, Government of Bihar;
(v) Vice-Chancellor;
(vi) Member Secretary, All India council for Technical Education;
(vii) Chief Secretary, Government of Bihar;
(viii) Additional chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Deptt. Of Finance, Government of Bihar;
(ix) Additional chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Department of Education, Government of Bihar;
(x) Additional chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Department of Science and Technology, Government of Bihar;
(xi) Director, Indian Institute of Technology, Patna;
(xii) Director, National Institute of Technology, Patna;
(xiii) Director, Chandragupta Institute of Management (CIM), Patna, Bihar;

(xiv) Director, Development Management Institute (DMI), Patna, Bihar;

(xv) Two eminent persons in the field of Science and Technology, nominated by the Chancellor;

(xvi) Two Principals of Government Engineering Colleges, in rotation for a period of three years, nominated by Government of Bihar;

(xvii) Registrar of the University.

(2) (i) Where a person has become a member of the General Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment;

(ii) The term of office of the nominated members of the General Council other than the ex officio members shall be three years;

(iii) A member of the General Council shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member, other than the Vice-Chancellor, Registrar shall also cease to be a member if he accepts a full- time appointment in the university; or if he not being an Ex-Officio member fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave of the Chancellor;

(iv) A member of the General Council other than an ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted; and

(v) Any vacancy in the General Council shall be filled by nomination by the respective nominating authority for the remaining period of the term and on expiry of the period of the vacancy; such nomination shall cease to be effective.

(3) Powers, functions and meetings of the General Council-

(1) The General Council shall be the plenary authority of the University and shall formulate and review from time to time the broad policies, and programmes of the University and devise measures for the improvement and development of the University and shall also have the following powers and functions namely: -

(i) To consider and pass the annual report, financial statement and the budget estimates prepared by the Executive Council and to adopt them with or without modification:

(ii) To make Statutes concerning the administration of the affairs of the University including prescribing the procedures to be followed by the authorities and the officers of the University in the discharge of their functions.

(2) (i) The General Council shall meet at least once in a year and annual meeting of the General Council shall be held on a date to be fixed by the Chancellor;

(ii) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimates shall be presented by the Vice-Chancellor to the General Council at its annual meetings;

16

(iii) Meetings of the General Council shall be called by the Chancellor either on his own motion or at the requisition of not less than ten members of the General Council;

(iv) For every meeting of the General Council, fourteen days' notice shall be given. However, in emergent situation the meeting of the General Council may be called by the Chancellor at short notice.

(v) One third of the members existing on the rolls of the General Council shall form the quorum;

(vi) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the General Council, the Chancellor presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote;

21. *Executive Council*.—

(1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University.

(2) The Executive Council shall consist of the following persons namely: -

(i) The Vice-Chancellor of the University;

(ii) Additional chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Department of Science and technology, Government of Bihar or his/her representative not below the rank of joint secretary;

(iii) Additional chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Department of Education, Government of Bihar or his/her representative not below the rank of joint secretary;

(iv) Additional chief Secretary/ Principal Secretary /Secretary, Department of Finance, Government of Bihar or his/her representative not below the rank of joint secretary;

(v) Director, Indian Institute of Technology, Patna or his/her representative not below the rank of professor;

(vi) Director, National Institute of Technology, Patna or his/her representative not below the rank of professor;

(vii) Director, Chandragupta Institute of Management, Patna or his/her representative not below the rank of professor;

(viii) Director, Development Management Institute, Patna or his/ her representative not below the rank of professor;

(ix) Head of Department, Department of Architecture, National Institute of Technology, Patna;

(ix) Director, Department of Science and technology, Government of Bihar;

(x) The Registrar of the University;

(xi) Three teachers to be nominated by the Vice Chancellor of whom, one shall be from amongst Heads of Department, one from Professors and one from Associate Professors by rotation for a period of one year each from Government engineering colleges;

(3) The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Executive Council:

(i) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment;

(ii) The term of office of the nominated members of the Executive council other than ex officio members shall be three years;

(iii) A member of the Executive Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member other than the Vice-Chancellor and the Registrar shall also cease to be a member if he accepts a full-time appointment in the University;

(iv) A member of the Executive Council other than an ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Vice-Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him;

(v) Any vacancy in the Executive Council shall be filled by nomination by the respective nominating authority for the remaining period of the term and on expiry of the period of the vacancy, such nomination shall cease to be effective.

(4) Powers, Functions and Meetings of the Executive Council

(1) The Executive Council shall be the Chief Executive Authority of the University and as such shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made there under, and may make Regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder.

(2) The Executive Council shall have the following powers and functions:

(i) To prepare and present the following to the General Council at its annual meetings: -

(a) A report on the working of the University;

(b) A statement of accounts; and

(c) Budget proposals for the ensuing academic year.

(ii) To manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;

(iii) To transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University;

(iv) To enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;

(v) To provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

14

(vi) To entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the students and the employees of the University;

(vii) To create administrative, ministerial and other necessary posts, to determine the number and emoluments of such posts, to specify the minimum qualifications for appointment to such posts on such terms and conditions of service as may be prescribed by the Statutes and Regulations made in this behalf;

(viii) To appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;

(ix) To select a common seal for the University; and

(x) To exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary; or imposed on it by or under this Act.

(3) (i) The Executive Council shall meet at least once in four months and not less than fourteen days notice shall be given of such meetings;

(ii) The meeting of the Executive Council shall be called by the Registrar under instructions of the Vice-Chancellor or at the request of not less than five members of the Executive Council;

(iii) One half of members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting;

(iv) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;

(v) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairman of the Executive Council or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote;

(vi) Every meeting of the Executive Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen by the members present;

(vii) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council. The decisions so taken shall not be valid unless agreed to by a majority of members of the Executive Council. Such decisions shall be forthwith intimated to all the members of the Executive Council. In case the Executive Council fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

22. ***The Academic Council.—***

(1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Regulations, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(2) The Academic Council shall consist of the following persons, namely:

(i) The Vice-Chancellor who shall be the Chairman;

(ii) Director, Indian Institute of Technology, Patna or his/her representative not below the rank of professor;

(iii) Director, National Institute of Technology, Patna or his/her representative not below the rank of professor;

(iv) Director, Chandragupta Institute of Management, Patna or his/her representative not below the rank of professor;

(v) Director, Development Management Institute, Patna or his/her representative not below the rank of professor;

(vi) Head of Department, Department of Architecture, National Institute of Technology Patna;

(vii) Three persons from amongst educationists of repute or men of letters or members of the learned profession or eminent public men, who are not in the service nominated by the Chancellor;

(viii) A nominee of the All India Council for Technical Education;

(ix) Director, Department of Science and technology, Government of Bihar;

(x) Ten Principals of the Government Engineering colleges of Bihar on rotation for a period of three years to be nominated by the Government of Bihar;

(xi) Three members of the teaching staff; one each respectively representing the Professor, Associate and Assistant Professors of Government Engineering colleges, nominated by the Vice-Chancellor for a period of three years;

(3) Powers, Functions and Meeting of the Academic council.—Subject to the provisions of the Act, Statutes and Regulations and overall supervision of the Executive Council, the Academic Council shall manage the academic affairs and matters in the University and in particular shall exercise and perform the following powers and functions namely:

(i) To report on any matter referred or delegated to it by the General Council or the Executive Council;

(ii) To make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto;

(iii) To formulate and modify or revise schemes for the organization of the faculties, and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Executive Council as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another;

(iv) To promote research under the University and to require from time to time, reports on such research;

(v) To consider proposals submitted by the faculties;

12

(vi) To recommend recognition of degrees of other Universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the certificates, diplomas and degrees of the University;

(vii) To fix subject to any conditions accepted by the General Council, the time, mode and conditions of competition for Fellowships, Scholarships and other prizes and to recommend for the award of the same;

(viii) To make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary, their removal and fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

(ix) To recommend arrangements for the conduct of examinations and the date for holding them;

(x) To declare or review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honors, licenses, titles and marks of honors;

(xi) To recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

(xii) To approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same and to approve syllabus and courses of study;

(xiii) To approve such forms and registers as are from time to time, required by the Regulations; and

(xiv) To perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act, the Statutes and the Regulations made there under.

(4) (i) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than two times during an academic year;

(ii) One half of the existing members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council;

(iii) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;

(iv) Each member of the Academic Council, including the Chairman of the Academic Council, shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairman of the Academic Council, or as the case may be, the member presiding over the meetings, shall in addition, have a casting vote;

(v) Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the Vice Chancellor and in his absence by a member chosen in the meeting to preside on the occasion;

(vi) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairman of the Academic Council may permit the business to be transacted by the circulation of papers to the members of the Academic Council. The decision taken shall not be valid unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council.

The decision so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Council. In case the Academic Council fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

23. *The Board of Planning.—*

(1) The Board of Planning shall be the principal body for preparing plans for the growth and development of the University to achieve its objectives.

(2) Board of Planning shall be constituted consisting of the following: -

(i) The Chancellor;
(ii) Minister, Department of Finance, Government of Bihar;
(iii) Minister, Department of Education, Government of Bihar;
(iv) Minister, Department of Science and Technology, Government of Bihar;
(v) The Vice-Chancellor;
(vi) Chief Secretary, Government of Bihar;
(vii) Additional chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Department of Finance, Government of Bihar;
(viii) Additional chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Department of Education, Government of Bihar;
(ix) Additional chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Department of Science and Technology, Government of Bihar;
(x) Director, Indian Institute of Technology, Patna
(xi) Director, National Institute of Technology, Patna
(xii) Director, Chandragupta Institute of Management, Patna
(xiii) Director, Development Management Institute, Patna
(xiv) Two eminent Professors of Science and Technology nominated by the Chancellor;
(xv) Nominee of All India council for Technical Education;
(xvi) Nominee of University Grant Commission;
(xvii) The Registrar of the University.

(3) The Planning Board shall meet once in a year and develop plans on the future programmes of the University and recommend the same to the Academic Council and Executive Council. It shall also recommend long term plans in relation to the different activities of the University as and when found necessary.

24. *The Board of Studies.*—The constitution, powers and functions of the Board of Studies shall be prescribed by the Statutes.

25. *The Board of Affiliation.—*

(1) The Board of Affiliation shall be responsible for affiliating colleges and institutions to the University.

(2) The constitution of the Board of Affiliation, the term of office of its members and its functions shall be prescribed by the Statutes.

26. *The Finance Committee.*—The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be prescribed by the Statutes.

27. *Other Authorities.*—The constitution, powers and functions of the other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be prescribed by the Statutes.

28. *Powers to make Statutes.*—Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:

(1) The constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be found necessary to be constituted from time to time;

(2) The appointment and continuance in office of the members of the said authorities and bodies of the University, the filling up of vacancies of members, and all other matters relating to those authorities and other bodies for which it may be necessary or desirable to provide;

(3) The appointment, powers and duties of the officers of the University, and terms and conditions of their service;

(4) The constitution of the pension or the provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the employees of the University;

(5) The principles governing the seniority of employees of the University;

(6) The procedure for arbitration in cases of dispute between employees or students and the University;

(7) The procedure for appeal to the Executive Council by an employee or student against the action of any officer or authority of the University;

(8) The extent of the autonomy which a college or an institution declared as an autonomous college or institution may be exercised;

(9) The conferment of honorary degrees;

(10) The withdrawal of degrees, certificates and other academic distinctions;

(11) The institution of fellowships, scholarships, studentship, medals and prizes and other incentives; the delegation of powers vested in the authorities or the officers of the University;

(12) All other matters which, by or under this Act, are to be, or may be, provided for by the Statutes.

29. *Statutes, how to be made.*—

(1) The First Statutes shall be made by the Government on the recommendation of the General Council.

(2) The General Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1):

Provided that the General Council shall not make, amend or repeal any Statute affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed change, and any opinion so expressed shall be considered by the General Council.

(3) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal thereof a Statute shall require the assent of the Chancellor.

Provided that if there be any financial implication which may arise under the statute, it shall not be enforceable unless prior approval of the state government has been obtained.

30. *Regulations.*—The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act, and the Statutes, in the manner prescribed by the Statutes for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes and for such matters as may be prescribed by the Statutes, provided that if there be any financial implication which may arise under the

regulation, it shall not be enforceable unless prior approval of the State government has been obtained.

31. ***Annual Report.—***

(1) The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council, which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects and shall be submitted to the General Council on or after such date as may be prescribed by the Statutes and the General Council shall consider it in its annual meeting.

(2) The General Council shall submit the Annual Report to the Chancellor along with its comments, if any.

(3) A copy of the annual report, as prepared under sub-section (1), shall also be submitted to the Government.

32. ***Fund.—***

(1) The University shall have a general fund to which the following shall be credited:

(i) Its income from fees, grants, donations and gifts, if any;

(ii) Any contribution or grant made by national/international agencies, the Central Government, University Grants Commission, All India Council for Technical Education. Council of Architecture or like authority, any local authorities or any corporation owned or controlled by the Government and;

(iii) Endowments and other receipts.

(2) The University may have such other funds as may be prescribed by the Statutes.

(3) The funds and all moneys of the University shall be managed in such a manner as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Government may, every year, provide grant-in-aid to facilitate and promote studies and research and for carrying out the objectives of the University.

33. ***Accounts and Audit .—***

(1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Comptroller and Auditor General of India or by such person or such persons as he may authorize on his behalf.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report thereon shall be submitted to the General Council and the Chancellor along with the observations, if any, of the Executive Council.

(3) Any observation made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the General Council and the observations of the General Council, if any, shall, after being considered by the Executive Council, be submitted to the Chancellor.

(4) A copy of the annual accounts together with the audit report, as submitted to the Chancellor, shall also be submitted to the Government.

8

34. ***Furnishing of Returns etc.***—The University shall furnish to the Government such returns or other information with respect to its property or activities as the Government may, from time to time, require.

35. ***Conditions of service of employees.***—The condition of the service of the officers and staff of the University shall be as specified by the statutes and regulations.

36. ***Constitution of University Review Commission.***—

(1) Chancellor, on his own motion or on request from the Government, shall at least once in every five years, constitute a commission to review the working of the University and to make recommendations.

(2) The Commission shall be constituted consisting of not less than three eminent educationists, one of whom shall be the Chairman of such Commission appointed by the Chancellor in consultation with the Government.

(3) The terms and conditions of the appointment of the members shall be such as the Chancellor may determine.

(4) The Commission shall after holding such enquiry as it deems fit, make its recommendations to the Chancellor with a copy to the Government.

(5) The Chancellor may take such action on the recommendations as he deems fit in consultation with the government.

37. ***Right to appeal.***—Every employee or student, related to the University, shall notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed by the Statutes, to the Chancellor against the decision of any officer or authority of the University, and thereupon the Chancellor may confirm, modify or reverse the decision appealed against.

38. ***Provident and pension funds.***—The University shall constitute for the benefit of its employee such provident fund or pension fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes in consultation with the Government.

39. ***Disputes as to constitution of University authorities and Bodies.***—If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

40. ***Filling of casual vacancies.***—All the casual vacancies among the members, other than ex-officio members, of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be, by the person or body who appoints; elects or co-opts the members whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual, vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

41. ***Proceedings of the University authorities or bodies not invalidated by vacancies.***—No Act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy or vacancies among its members.

42. ***Protection of action taken in good faith.***—No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or other employee or against any authority of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or the Regulation.

43. ***Mode of proof of University record.***—Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 or in any other law for the time being in force, a copy of any receipt, application, notice, order, proceedings or resolution of any authority or other body

of the University, or any other document in possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar so designated shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein, where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

44. ***Power to remove difficulties.***—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty; Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act;

Provided further that every order made under this section shall be laid, as soon as it is made, before each House of Legislature.

45. ***Transitory Provisions.***—Notwithstanding anything contained in this Act, Statutes or the regulations, any student of a college or institution affiliated to other University, who immediately before the date of affiliation to the University, was studying or was eligible for any examination of the other Universities shall be permitted to complete this course in preparation thereof and the University shall provide for such period and in such manner as may be prescribed for the instruction, teaching, training and examination of such students in accordance with the course of studies of the other University.

P.C.CHOUDHARY,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 677-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in